



अभी  
विवाह  
नहीं!

यह  
हमारी  
पुस्तिका  
है



## बाल विवाह निषेध अधिनियम [2006]

बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिससे वे पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर पा सकें



मैं अभी तक १८  
वर्ष की नहीं हुई हूँ!

तब अभी विवाह  
नहीं! इस उम्र में यह  
अपराध होगा!



जब किसी लड़की की 18 वर्ष, या लड़के की 21 वर्ष की उम्र से पहले शादी होती है,  
तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह करवाना दंडनीय अपराध है।



बाल विवाह रोकने के लिए शिकायत दर्ज करने के कई तरीके हैं:

- 📄 नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें
- 📄 BDO को सूचना दें
- 🔨 न्यायिक अधिकारी को सूचना दें
- ☎️ चाइल्डलाइन 1098 को फोन पर सूचना दें
- 📱 9836 300 300\* - पर मेसेज करें

यदि बाल विवाह हो जाता है, तो लड़का या लड़की बालिग होने के दो साल के भीतर शादी को रद्द कर सकते हैं

वे अपील के लिए DSW, या बाल विवाह निवारण आधिकारिक के पास जा सकते हैं

यदि लड़का या लड़की युवा है, तो कोई वयस्क, या दोस्त/स्कूल के साथी, उनके तरफ से आवेदन कर सकते हैं।

मेरी बाल विवाह हो गई थी। अब मेरी उम्र 20 साल से कम है। मैं शादी को रद्द करना चाहता हूँ

ठीक है। मैं आपको शादी रद्द करने की अपील लिखने में मदद करूँगी ...



\*WBCPCR whatsapp helpline [2019]  
केवल पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है

बाल विवाह  
रोकना हमारा  
कर्तव्य है

अगर ज़रूरी हो तो हम  
वयस्क पुरुषों को गिरफ्तार  
कर सकते हैं...

कोई भी जो विवाह  
समारोह से जुड़ा हो

... या जिसने बाल  
विवाह रोकने का अपना  
फ़र्ज़ न निभाया हो

बाल विवाह एक ऐसा अपराध है जिसमें ज़मानत नहीं मिलती



मगर मैं तो सिर्फ  
बावर्ची हूँ!

मगर हम तो सिर्फ  
मेहमान हैं

पर मैं तो औरत हूँ!

पर मैं तो दुल्हन  
की मां हूँ!

पर मैं तो दुल्हन  
का पिता हूँ!

मगर हम तो  
धर्मगुरु हैं!



हम तुम्हें गिरफ्तार  
कर सकते हैं

...और तुम्हें भी

औरतों को  
जेल नहीं होगी,  
पर उन्हें  
जुर्माना देना  
पड़ सकता है

तुम्हें गिरफ्तार  
कर सकते हैं

और तुम्हें भी



एक वयस्क दुल्हे, उसके तथा लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को 2 साल की जेल हो सकती है, या 1 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है, या दोनों



हम लड़की को 24  
घंटों के अंदर अधिकारी  
के सामने पेश करेंगे

हम FIR दर्ज  
करेंगे और जल्द  
ही जांच-पड़ताल  
करेंगे


बचाव के दौरान  
बच्चों को हथकड़ी  
नहीं पहनाई जाएगी



मगर  
हमारे समाज में  
अभी भी बाल  
विवाह का प्रचलन  
क्यों है?

क्योंकि, लड़कों और  
लड़कियों के कानूनन  
समान अधिकार होते  
हुए भी...

समाज  
लड़कियों को  
बराबरी का  
दर्जा नहीं देता



अगर एक लड़की की  
शादी जल्दी हो जाए  
तो उसे कम दहेज  
देना पड़ता है...



मगर दहेज देना  
या लेना दोनों ही  
अपराध होते हैं!

इससे लड़कियां  
असुरक्षित संबंधों  
से बच सकती हैं

असल में जल्दी शादी होने से  
लड़कियां घरेलू हिंसा की चपेट में  
ज्यादा आसानी से आ सकती हैं

लड़की की शादी हो  
जाए तो माता-पिता  
की चिंता खत्म हो  
जाती है. शादी कर  
लेने में लड़की का  
ही भला है...



क्योंकि बाल विवाह से  
सम्बंधित समस्याओं की  
कोई बात भी नहीं करता



क्योंकि बहुत से लोगों को  
पता नहीं है कि बाल विवाह  
गैर-कानूनी होता है



क्योंकि बहुत से  
लोगों को बचपन  
में अविवाहित होने  
के लाभ मालूम  
ही नहीं होते

## जब बाल विवाह होता है...



मेरी बाल श्रम या यौन कर्म के लिए तस्करी होने वाली है

असुरक्षित सेक्स से बीमारियां हो सकती हैं; उनसे मेरी मृत्यु हो सकती है!



मैं घरेलू हिंसा की चपेट में ज्यादा आसानी से आ सकती हूँ



मैं एक मां बनने के लिए बहुत छोटी हूँ। मेरा बच्चा बीमार और दुर्बल है



मेरे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा,  
सुरक्षा... किसी चीज़ का भी  
आश्वासन नहीं है!



बाल विवाह बच्चे के फैसले लेने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, और  
पीढ़ियों से चले आ रहे ग़रीबी के कालचक्र को बढ़ावा देता है

## जब बाल विवाह नहीं होता...

मुझे अपने बचपन को जीने का और शिक्षा का अधिकार है। बड़ी होने पर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी



हमें जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है



मैंने अपना भविष्य बना लिया; परिवार के साथ खड़े होने की ताकत मिली!



मैं अपने समुदाय में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हूँ





परिवार, समुदाय  
और देश के  
सुधार के लिए...

...शिक्षित और  
स्वतंत्र लड़कियों  
की जरूरत है



# बाल विवाह रोकना सबका कर्तव्य होता है।

पड़ोसी



शिक्षक



स्थानीय दल / स्वयंसेवी संस्था



पुलिस



पंचायत



बाल कल्याण समिति




बाल विवाह  
निवारण अधिकारी



न्यायिक मजिस्ट्रेट



जिला मजिस्ट्रेट  
BDO





पड़ोसी



नज़दीकी पुलिस थाने में  
शीघ्र शिकायत दर्ज करें

छात्रों की नियमित उपस्थिति का ध्यान रखें,  
क्योंकि उन्हें बाल विवाह का खतरा हो सकता है



शिक्षक

स्थानीय दल



अगर जरूरत हो, सीधे  
न्यायिक मजिस्ट्रेट को  
शिकायत करें



हेलो?  
1098

बाल विवाह रोकना सबका कर्तव्य होता है। एक लड़की  
खुद ही चाइल्डलाइन (1098) पर फोन कर सकती है

# पंचायत

सदस्यों को किसी भी बाल विवाह का समर्थन नहीं करना चाहिए

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गलत जन्म प्रमाण पत्र के कारण बच्चे का भविष्य नष्ट न हो

आइए सुनिश्चित करें कि हमारे गांव में बाल सुरक्षा समिति मौजूद है



## बाल कल्याण समिति

जिस बच्चे को बाल  
विवाह से बचाया जाता  
है, उसे **चाइल्डलाइन** के  
कर्मि हमारे पास लाते हैं

हमारे पास शीघ्र  
कार्यवाही के लिए  
विशेष शक्तियां हैं



बाल कल्याण समिति की अनुपस्थिति में, ब्लॉक विकास दफ्तर [BDO] या  
जिला बाल संरक्षण कार्यालय [DCPU] इसके लिए जिम्मेदार है

## न्यायिक मजिस्ट्रेट

जहां आवश्यक हो, मैं बिना किसी आवेदन के, निषेधाज्ञा के माध्यम से, कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता हूँ



## बाल विवाह निवारण अधिकारी


बाल विवाह रोकने के लिए मैं वहां जाऊंगी और पुलिस को आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दूंगी

मुजरिमों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करूंगी



जहां ज़रूरत हो, वहां अधिकारी बाल विवाह के कुप्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श कर सकती है

मैं पुलिस को विवाह रोकने  
और बच्चे को **चाइल्ड-  
लाइन** की मदद से बचाने  
के आदेश दे सकता हूँ







बाल विवाह होने पर कौन सी  
समस्याएं हो सकती हैं?  
यहाँ एक सूची लिखें



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

आप बाल विवाह से संबंधित  
जानकारी कहां देंगे?  
यहाँ महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर लिखें

पुलिस

BDO

DCPU



चाइल्डलाइन 1098



9836 300 300



## पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- +91 33 2356 0385
- wbpcpr@gmail.com
- wbpcpr.org



developed by  
**THOUGHTSHOP  
FOUNDATION**  
thoughtshopfoundation.org

2019